राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि / नरेगा / आधार / पार्ट–1 / 80830 / 2015 जयपुर, दिनांक : 9 FEB 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **आधार आधारित भुगतान (ABPS) conversion के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 23.11.2016, 25.11.2016 एवं 28.12.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के आधार नम्बर का लिंकेज उनके बैंक खाते के साथ किया जाकर ABPS conversion कराये जाने के संबन्ध में संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा उक्त की समीक्षा किये जाने पर यह देखा गया है कि **श्रमिकों के आधार नम्बर तथा सी.बी.एस. आधारित बैंक खाते की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट में होने के बावजूद ABPS के कार्य में अपेक्षित प्रगति नही** हो पायी है। योजनान्तर्गत श्रमिकों के आधार का लिंकेज बैंक खाते के साथ किया जाकर **ABPS प्लेटफार्म पर इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लाया जाना अनिवार्य** है।

नरेगा सॉफ्ट के **पी.ओ.एवं डी.पी.सी. login** पर **"List of confirmed Aadhar Number yet to mapped on NPCI Mapper"** रिपोर्ट में **श्रमिक, जिनके आधार नम्बर तथा खाता संख्या नरेगा सॉफ्ट में enter है परन्तु ये NPCI से mapped नही है अर्थात ABPS प्लेटफार्म पर convert नही हो पाये है, का बैंकवार विवरण उपलब्ध** है। उक्त सूचना के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किये जाने से इन श्रमिकों का तुरन्त **ABPS conversion** किया जा सकता है :–

1. उक्त सूचना को डाउनलोड की जाकर संबन्धित श्रमिकों से कनसेन्ट फार्म मय लाभार्थी से स्वसत्यापित आधार की प्रति प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि नरेगा सॉफ्ट पर की जावे। (कार्यवाही **दिनांक 20.02.2017 तक पूर्ण** की जावे)
2. उक्त कार्यवाही पूर्ण कर **दिनांक 25.02.2017** तक **"पंचायत समिति स्तरीय बैंकर्स कमेटी" (BLBC) की बैठक आयोजित** की जाकर **उक्त सूचना मय एक्सल फार्मेट तथा लाभार्थी से स्वसत्यापित आधार प्रति एवं कन्सेन्ट फार्म संबन्धित बैंक ब्रान्च के प्रतिनिधि को उपलब्ध** करायी जावे। बैठक में यह तय किया जावे कि **दी जा रही उक्त सूचना के आधार पर ABPS conversion का कार्य एक सप्ताह की अवधि में पूर्ण कर पुनः BLBC की बैठक में इसकी समीक्षा** की जायेगी।
3. **कार्यक्रम अधिकारी एवं संबन्धित बैंक के प्रतिनिधि आपस में co-ordinate** कर किसी भी प्रकार की तकनीकी / व्यवहारिक समस्या का समाधान कर **ABPS conversion** किया जाना सुनिश्चित करेगें।

4. इस प्रकार दिनांक 28.02.2017 तक नरेगा सॉफ्ट में एन्टर सभी श्रमिकों का **ABPS conversion** किया जा सकता है।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसमें किसी भी प्रकार की **कमी के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति स्वयं उत्तरदायी** होगें।

भवदीय,

9/2/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त, ईजीएस।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस